देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/70 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 30 अप्रैल 2021

भाग-4

मिशन मास्टर प्लान

क्या सही है और क्या गलत?

सत्संग हॉल की आड़ में अवैध बिल्डिंग का निर्माण? या अवैध बिल्डिंग को बचाने के लिए सत्संग हाल का इस्तेमाल??

रघुवीर सैनी दुविधा में!!! धर्म का इस्तकबाल ऊँचा रखे या फिर कानून का?

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों पर नोटिस के बावजूद शटर और छत पर टिनशेड लग गए जबकि यह पूरा मामला ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान की निजी जानकारी में है और उनकी शह पर ही इस अवैध निर्माण पर सत्संग भवन का बोर्ड लगाया गया|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब मांगते सवाल?

- क्या भारतीय संविधान में किसी भी धार्मिक बिल्डिंग को बनाने के लिए नियम-कानूनों में छुट मिली हुई है?
- क्या धर्म की आड़ में अवैध बिल्डिंगों का निर्माण जायज है?
- क्या कोई संत या धर्म अपने अनुयायियों को यह सीख देता है कि उनके सत्संगो का लाभ लेने के लिए उनके अनुयायी बिना अनुमति अवैध बिल्डिंगे बनायीं जाए?
- क्या सत्संग भवन बनाने के लिए भूखंडों के पुनर्गठन करवाने की आवश्यकता नहीं होती?
- क्या सत्संग भवन में आने वाले हजारों अनुयायियों के लिए पार्किंग व्यवस्था के लिए जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती?क्या सरकारी सड़के और फुटपाथ इन सत्संग भवनों की जागीर है,जहाँ कोई भी अपने वाहन खड़े करके चला जायेगा?

- क्या मात्र सत्संग हॉल और योगा सेंटर का बोर्ड लगाने मात्र से कोई अवैध बिल्डिंग वैध हो जाती है?
- इन भूखंडो का मालिक कौन है वासुदेव गंगवानी या बाबाजी की संस्था?
- यदि सभी अवैध बिल्डिंगों के मालिक इस हथकंडे को अपनाने लगे तो फिर जे.डी.ए. विनियमों का क्या मतलब रह जाएगा?
- क्या जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय श्री रघुवीर सैनी अवैध निर्माणकर्ता के इस झांसे में आयेगें?
- जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय श्री रघुवीर सैनी धर्म की रक्षा करेंगे या फिर कानून की?
- और कितने अवैध निर्माणों पर इस तरह के बोर्ड लगाये गए है?
- क्या गारंटी है कि भवन मालिक इस अवैध निर्माण का उपयोग भविष्य में केवल सत्संग हाल के लिए ही करेगा?किसी तरह का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा? (जैसा कि होता आया है कि चड्डी-बनियान/ब्रा-पेंटी/होजरी आईटमों/घरेलु सामानों की सेल लगायी जाती है फिर धीरे धीरे व्यवसायिक गतिविधियाँ सुचारू हो जाती है|वैसे भी इसका मालिक दुबई बाजार के नाम से सेल जो लगाता है)
- क्या ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान इस अवैध बिल्डिंग के भविष्य में होने वाले व्यवसायिक उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे?